मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

डीजी परिपत्र संख्याः 11 (15-66) दिनांकः मार्च 20,2023

सेवा में,

1–पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/प्रयागराज/आगरा/गाजियाबाद

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि भारतीय रेलवे के माध्यम से प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री उत्तर प्रदेश से होकर आवागमन करते हैं, इन यात्रियों में देश के विभिन्न प्रान्तों के तथा विदेशी नागरिक भी होते हैं। यदि वर्दीधारी पुलिस कर्मी द्वारा रेल यात्रा के दौरान कोई अनुचित आचरण किया जाता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का संदेश अल्प समय में लाखों लोगों के संज्ञान में आ जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक अनुशासित बल है तथा इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है।

2– विगत दिनों ट्रेन में पुलिस कर्मियों एवं टी0टी0ई0 के मध्य बिना टिकट ए0सी0 कोच में यात्रा को लेकर वाद–विवाद एवं दुर्व्यवहार की घटनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं तथा सोशल मीडिया में भी इस प्रकार के वाद–विवाद एवं दुर्व्यवहार से संबंधित वीडियो वायरल हुए हैं। ऐसे अनुचित कृत्यों से उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3– इस प्रकार की प्रमुख घटनाओं में दिनांकः 10–03–2023 को भागलपुर से जम्मूतवी जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में ए0सी0 कोच में यात्रा कर रहे पुलिस कर्मियों तथा टी0टी0ई0 के मध्य वाद–विवाद एवं दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी प्रकार दिनांकः 14–03–2023 को ट्रेन नम्बर–12355 अर्चना एक्सप्रेस के टी0टी0ई0 व पुलिस कर्मियों के मध्य वाद–विवाद तथा मारपीट होने के सम्बन्ध में टी0टी0ई0 की सूचना पर थाना जीआरपी प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0–7/2023, धारा–147/332/353/504 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

4– राजकीय कार्यो से यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है, ऐसे में प्रत्येक पुलिस कर्मी का यह उत्तरदायित्व है कि वह यात्रा के दौरान ऐसा कोई आचरण न करें, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो।

5– अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों को निर्देशित करें कि उनके द्वारा रेल यात्रा नियमानुसार की जाये। किसी पुलिस कर्मी द्वारा रेल यात्रा के नियमों का उल्लंघन किये जाने एवं रेल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर नियमानुसार विधिक/विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

20/3/2023
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु :–

1–अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त इकाई विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस ।
3–अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश ।
5–समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश ।
6–पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/प्रयागराज ।
7–पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/प्रयागराज।